महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़
MAHARAJA SUHEL DEV UNIVERSITY, AZAMGARH
Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांकः 9118 / कु०का० / 2026 दिनांक : 14 / 07 / 2026

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2026–27 के लिए पूर्व सत्र 2025–26 के प्रवासी छात्र–छात्राओं के छात्रावासों के आवंटन हेतु समर्थ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17 से 21 जुलाई, 2026 तक आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे।

1. छात्रावास का आवंटन उन्ही छात्रों को किया जायेगा, जिनका नाम चयनित सूची में होगा। छात्रावास आवंटन समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात् चयनित सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msdsu.ac.in पर अपलोड किया जायेगा।
2. मेस शुल्क तीन माह का अग्रिम जमा करने पर ही छात्रावास आवंटित किया जाएगा।
3. छात्रावास एक सेमेस्टर शुल्क रू० 7100/– (रू० 1500/– रिफण्डेबल)
4. अग्रिम तीन माह का मेस शुल्क रू० 9660/– (नौ हजार छः सौ साठ रुपये मात्र)

अतः समस्त इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि छात्रावास आवंटन हेतु ससमय समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लें।

14/7/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव।
3. प्रभारी समर्थ महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
4. प्रभारी (पुरूष एवं महिला) छात्रावास महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

MAHARAJA SUHEL DEV UNIVERSITY, AZAMGARH

Website: www.msdsu.ac.in

1. छात्रावास की कुल उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय के पूर्व से अध्ययनरत (पुराने) स्नातक (UG) एव स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों हेतु तथा शेष 50 प्रतिशत नवप्रवेशित (नए) स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित करने की संस्तुति की जाती है।
2. उपर्युक्त दोनों श्रेणियों (पुराने एवं नए विद्यार्थियों) के अन्तर्गत उपलब्ध सीटों का विभाजन निम्नानुसार किया जाएगा–

   (क) 50 प्रतिशत सीट स्नातक (UG) विद्यार्थियों हेतु।

   (ख) 50 प्रतिशत सीट स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों हेतु।

3. छात्रावास की सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों/विभागों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता (Intake Capacity) के अनुपात में किया जाएगा, ताकि सभी सकायों/विभागों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।
4. छात्रावास आवंटन में सर्वप्रथम स्नातक (UG) विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। स्नातक (UG) विद्यार्थियों में भी प्रथम वर्ष (First Year) के विद्यार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके उपरान्त अन्य स्नातक तथा आवश्यकता होने पर स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों का आवंटन किया जाएगा।

विवरण निम्नवत् है :–

विश्वविद्यालय छात्रावास आवंटन सत्र – 2026–27							
पुरुष छात्रावास में कुल सीटो की संख्या – 170*				महिला छात्रावास में कुल सीटो की संख्या – 134*			
क्रं. सं.	स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम	पुरुष छात्रावास में आवंटित सीटो की संख्या		क्र.सं.	स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम	महिला छात्रावास में आवंटित सीटो की संख्या	
		Old Batch	New Batch			Old Batch	New Batch
1.	BBA	02	03	1.	BBA	02	02
2.	BCA	05	05	2.	BCA	04	04
3.	BFA	02	03	3.	BFA	02	02
4.	BA	09	09	4.	BA	07	07
5.	B.Sc.	09	09	5.	B.Sc.	07	07
6.	B.Com.	05	05	6.	B.Com.	04	04
7.	B.A. LL.B.	04	04	7.	B.A. LL.B.	03	03
8.	B.E.	07	07	8.	B.E.	05	05
9.	M.A.	15	15	9.	M.A.	12	12
10.	M.Com.	01	01	10.	M.Com.	01	01
11.	M. Journalism	03	03	11.	M. Journalism	02	02
12.	M.Sc.	17	17	12.	M.Sc.	14	14
13.	LL.M.	02	03	13.	LL.M.	02	02
14.	MBA	02	03	14.	MBA	02	02
Total		83	87	Total		67	67

* PWD छात्र तथा छात्राओं के लिए छात्रावास में सीटें आरक्षित है।

5. यदि किसी श्रेणी में सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी रिक्त सीटों का आवंटन सर्वप्रथम पात्र स्नातक (UG) विद्यार्थियों को किया जाएगा। इसके उपरांत भी यदि सीट रिक्त रहती है, तभी उनका आवंटन पात्र स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों को किया जाएगा। रिक्त सीटों का समायोजन छात्रावास आवंटन समिति की संस्तुति एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा।
6. छात्रावास का आवंटन संबंधित श्रेणी के पात्र आवेदकों की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

7. छात्रावास आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थायी निवास (आधार कार्ड पर अंकित पते के पिनकोड) से विश्वविद्यालय के पिनकोड तक Google Maps द्वारा प्रदर्शित Shortest Distance को मान्य माना जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के स्थायी निवास एवं विश्वविद्यालय के मध्य यह दूरी 40 किलोमीटर छात्रों के लिए (30 किलोमीटर छात्राओं के लिए) अथवा उससे कम होगी, वे छात्रावास आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. छात्रावास में आवंटित प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए विश्वविद्यालय की मेस की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। बिना मेस सदस्यता के छात्रावास में निवास की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
9. छात्रावास मेस शुल्क प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) के लिए अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में मेस शुल्क जमा न करने पर विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
10. छात्रावास आवंटन से संबंधित किसी भी विवाद, विशेष परिस्थिति अथवा इस नियमावली में वर्णित न होने वाले किसी विषय पर विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों के अधीन छात्रावास आवंटन समिति की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, इस नियमावली में संशोधन, परिवर्तन अथवा आंशिक शिथिलीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. छात्रावास आवंटन होने के पश्चात तीन माह का मेस शुल्क, तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पत्रांक संख्या 6860/कु0का0/2025 के अनुसार छात्रावास शुल्क निर्धारित तिथि के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
12. निर्धारित तिथि के उपरांत छात्रावास शुल्क जमा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के अभ्यर्थियों को छात्रावास आवंटित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
13. छात्रावास आवंटन के समय अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।